



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062021-227925
CG-DL-E-26062021-227925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 26, 2021/आषाढ़ 5, 1943

No. 259]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26, 2021/ASHADHA 5, 1943

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

मद संख्या 146/2020

(परिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2020)

भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमावली के अध्याय-II में प्रस्तावित संशोधन धारा-V जोड़ने पर विचार और अधिवक्ताओं और/या अधिवक्ता संघों या विधिज्ञ परिषदों के सदस्यों के आचरण और शिष्टाचार के संबंध में स्पष्टीकरण।

संकल्प संख्या _____ / 2020

अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7 (1)(बी)(सी)(डी)(जी)(एल) और (एम) सपटीत धारा 49 (1)(ए) और (एबी) में निहित कृत्यों के अनुसार भाग-VI अध्याय -II में निम्न संशोधन किये जाते हैं।

ये संशोधन अधिवक्ताओं द्वारा कदाचार से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे हैं, जिनका विशेष रूप से प्रस्तावना या इस अध्याय के किसी भी खंड में उल्लेख नहीं किया गया है। अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए इन नियमों को प्रविष्ट/जोड़ा जा रहा है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियमावली के भाग-VI, अध्याय-II में निम्नलिखित धारा-V जोड़ी जायेगी।

खंड-V अधिवक्ताओं का समाज और बार के प्रति कर्तव्य :-

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 (1)(सी) के तहत एक अधिवक्ता अपने दैनिक जीवन में स्वयम् को एक सज्जन पुरुष/सज्जन महिला के रूप में आचरण करेगा और वह कोई भी गैरकानूनी कार्य नहीं करेगा, वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कोई ऐसा बयान नहीं देगा, जो कि किसी भी न्यायालय या न्यायाधीश या न्यायपालिका के किसी सदस्य के विरुद्ध हो या राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के विरुद्ध अभद्र या अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण या शरारत पूर्ण भावना से ऐसे आचरण को कदाचार माना जायेगा और कोई वकील भारतीय विधिज्ञ परिषद् के किसी आदेश या किसी भी संकल्प का किसी भी तरह से जानबूझकर उल्लंघन, अवहेलना या अवहेलना में संलग्न नहीं हो सकेगा। यदि संलग्न हुआ तो उसे कदाचार माना जायेगा। उपरोक्त कार्य/आचरण को कदाचार माना जाएगा और इसप्रकार का आचरण/उल्लंघन यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 या 36 के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनायेगा।

धारा-5 ए:- विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों के लिए आचार संहिता और अयोग्यता:

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 (1)(ए) और (एबी) के तहत नये नियम:-

(1) किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के किसी भी सदस्य को या किसी भी अधिवक्ता को संबंधित राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के किसी भी संकल्प या आदेश के खिलाफ या विधिज्ञ परिषद् या उसके पदाधिकारियों या सदस्यों के खिलाफ कोई जानबूझकर अपमानजनक शब्द या अपमानजनक भाषा/टिप्पणी/अपमानजनक शब्द बनाकर उपयोग करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में कुछ भी प्रकाशित करने या कोई बयान या प्रेष विज्ञप्ति, करने की अनुमति नहीं है।

(2) किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निर्णय को सार्वजनिक अनुक्षेत्र में विधिज्ञ परिषद् के किसी सदस्य द्वारा आलोचना या अनावश्यक आक्रमण/टीका टिप्पणी नहीं किया जाएगा।

(3) कोई भी अधिवक्ता या किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् का कोई सदस्य राज्य विधिज्ञ परिषद् या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के गरिमा को ठेस नहीं पहुँचायेगा।

(4) इस आचरसंहिता के उपर्युक्त खंड (I) से (III) का उल्लंघन अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत "अन्य कदाचार" के रूप में माना जाएगा, और/या धारा-V और/या धारा-VA का उल्लंघन का परिणाम विधिज्ञ परिषद् से ऐसे सदस्य की सदस्यता को समाप्त कराने या निलंबित होने के लिए उत्तरदायी बना सकेगा।

नोट :-ज्ञातव्य है कि किसी प्रकार की स्वस्थ एवम् नेक नीयत से की गयी आलोचना जो "बिना किसी द्वेष-भाव" (Bona-fide) से की गयी हो, वैसे आलोचना को कदाचार नहीं माना जायेगा।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् ऐसे अधिवक्ताओं (जैसाकि उपर्युक्त खंड (V) में उल्लेखित किया गया है) या विधिज्ञ परिषद् के किसी भी सदस्य को कदाचार को गंभीरता के आधार पर किसी भी अवधि के लिए किसी भी विधिज्ञ संघ या विधिज्ञ परिषद् में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकती है। राज्य विधिज्ञ परिषद् अपने किसी सदस्य के द्वारा इन नियमों के उल्लंघन या इन नियमों के उल्लंघन के मामलों को भारतीय विधिज्ञ परिषद् को सूचित कर सकता है।

(5) किसी भी अधिवक्ता या विधिज्ञ परिषद् के सदस्य को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के द्वारा "तीन सदस्यीय समिति" जिसमें उच्च न्यायालय के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से जाँच करने की आवश्यकता होगी। त्रिसदस्यीय समिति का गठन भारतीय विधिज्ञ परिषद् के द्वारा किया जायेगा और इसमें न्यायाधीश के अलावा दो सदस्य भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कोई भी सदस्य या राज्य विधिज्ञ परिषद् का पदाधिकारी या कोई सदस्य या कोई अधिवक्ता (जिसकी 25 साल की वकालत हो), शामिल होगा।

(6) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के द्वारा किसी भी ऐसे मामलों की सूचना मिलने पर, त्रिसदस्यीय समिति संबंधित अधिवक्ता या अधिवक्ताओं/सदस्य या सदस्यों को नोटिस जारी करेगी और उन्हें सुनवाई का अवसर देगी। भारतीय विधिज्ञ परिषद् समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपना निर्णय लेगी।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् और/या उसके द्वारा गठित समिति/समितियों के समक्ष अयोग्यता की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के मापदंडों का अनुपालन करते हुए करेगी और इसे धारा 49 (1)(ए) और (एबी) के तहत पारित आदेश माना जाएगा।

अशोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./124/2021-22]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2021

Item No.146/2020

(Council Meeting dated 03.06.2020)

To consider the proposed amendments in Chapter-II of Bar Council of India Rules and to add Section-V in order to make certain clarifications with regard to conduct and etiquettes of Advocates and/or office-bearers of Bar Associations, Members of Bar Councils.

Resolution No. _____/2020

Amendment in Part-VI, Chapter-II of Bar Council of India Rules as per the functions contained under section 7(1)(b)(c)(d)(g) and (l) and (m) read with the section 49 (1)(a) and (ab) of Advocate Act, 1961.

These amendments are being made in order to address issues with regard to misconduct by Advocate/s, which have not been specifically mentioned in the Preamble or any of the Sections of this Chapter. These Rules are introduced/added with a view to maintain and improve the standards of professional conduct and etiquette for Advocates.

The following Section-V shall be added in Part-VI, Chapter-II of the Bar Council of India Rules:—

Section-V - Duties towards Society and Bar:—

[Under Section 49(1)(c) of the Advocates Act, 1961]

An Advocate shall conduct himself/herself as a gentleman/gentle lady in his/her day to day life and he/she shall not do any unlawful act, he/she shall not make any statement in the Print, Electronic or Social Media, which is indecent or derogatory, defamatory or motivated, malicious or mischievous against any Court or Judge or any member of Judiciary, or against State Bar Council or Bar Council of India nor shall any Advocate engage in any willful violation, disregard or defiance of any resolution or order of the State Bar Council or Bar Council of India and any such act/conduct shall amount to misconduct and such Advocates would be liable to be proceeded with under Section-35 or 36 of the Advocates' Act, 1961.

Section-VA: — Code of conduct and Disqualification for members of Bar Councils:

[under Section 49(1)(a) and (ab) of the Advocates Act, 1961]

(i) No Member of any State Bar Council or of Bar Council of India shall be permitted to publish anything or to make any Statement or Press-Release in Print, Electronic or Social Media against any Resolution or Order of concerned State Bar Council or Bar Council of India or to make/use any derogatory or abusive language/comment/s/ word/s against the Bar Council or its office-bearers or members.

(ii) The Decision of any State Bar Council or Bar Council of India shall not be criticized or attacked by any Member/s of Bar Council in public domain.

(iii) No Advocate or any Member of any State Bar Council or the Bar Council of India shall undermine the dignity or authority of the State Bar Council or Bar Council of India.

(iv) The Violation of this above mentioned clause (i) to (iii) of this code of conduct may amount to other misconduct under Section 35 of Advocates Act, 1961, and /or violation of Section-V and/or V-A shall

result in suspension or removal of membership of such member from the Bar Council. The Bar Council of India may declare such Advocates (as mentioned above in Section-V) or any Member of Bar Council to be disqualified from contesting the elections of any Bar Association or Bar Council for any period, depending on the gravity of the misconduct. The State Bar Council/s may refer the matters of misconduct or violation of these Rules by any of its members to Bar Council of India.

Note: Provided that a healthy and bona-fide criticism made in good faith, shall not be treated as a “misconduct”;

(v) For declaring any Advocate or Member of Bar Council as disqualified from contesting the elections as aforesaid, Bar Council of India shall be required to hold an inquiry by a “3 Member Committee” headed by a Former Chief Justice or a former Judge of any High Court. The Committee shall be constituted by the Bar Council of India and may consist of any member of Bar Council of India or a Member or Office-Bearer of any State Bar Council or any Advocate with a minimum of 25 years of standing at the Bar.

(vi) After any such reference of any case by Bar Council of India, the committee shall issue notice to the concerned Advocate(s)/ Member(s) and give him/her/them opportunity of hearing. Bar Council of India shall take its decision after consideration of the report of the Committee.

(vii). The proceedings for disqualification before the Bar Council of India and/or the Committee/s constituted by it shall follow the norms of natural Justice and it will be deemed to be an order passed under Section 49(1)(a) or 49(1)(ab).

ASHOK KUMAR PANDEY, Jt. Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./124/2021-22]